



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 29 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त कोशेन्द्र उर्फ शेन्दू पुत्र हेन्दू सिंह निवासी ग्राम महाव थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपने ही गांव निवासी विनोद कुमार की फावड़े से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 05.05.2020 को थाना स्याना पर मुअसं- 143/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 29.05.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.01.2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजी-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कोशेन्द्र उर्फ शेन्दू को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर